

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा मै.

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

C.B.S.E. (Delhi)
Diary No. 15
Date 30 SEP 1993
Section 4

शिक्षा 17। अनुभाग

विषय:-

नोयेडा पुस्किल तक, नोयेडा गाजियाबाद को सी०बी०स०इ० नई टिल्ला से सम्बद्धता है। उनापात्ति प्रभाव पर टिक्का जाने के तब्दि में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निषेध हुआ है कि नोयेडा पुस्किल तक, नोयेडा गाजियाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई टिल्ला से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन जापात्ति नहीं है।

- 1- विद्यालय की पौजीकृत सोलाहवीं वा सम्य सम्य पर नवोनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय को प्रबन्ध सत्रिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक तटस्थ होगा।
- 3- विद्यालय में उम्मीदवाले प्रतिक्रिया तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयारित विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- तैत्पार द्वारा राज्य सरकार ने बिता अनुदान को माँग नहीं की जायेगा और पटि धूर्वा में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने/ विभिन्न शिक्षा परिषद् ने मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौतिल फार टि ईडिशन रूप स्टीफोट परिषदों ने सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि ने परिषद् ने मान्यता तथा राज्य सरकार ने अनुदान रूपतः तभाप्त ने जायेगी।
- 5- तैत्पार शासक से शिक्षणस्तर कर्मियां वो राजकीय सहायता प्राप्त शिवण तैत्पारों के कर्मियां वो अनुभन्य ऐतनमानों तथा उन्हें भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मियां वो तेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियां वो अनुभन्य तेवा निष्पृति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

१००-५
7259
3619

- 7- राष्ट्रीय सरकार द्वारा तम्य तम्य पर जो भी अधिक निर्वाचित हो वायें, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- इत्यादि विद्यालय का रिकार्ड निर्वाचित प्रबन्ध/परिवर्तनीय हो रहा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राष्ट्रीय सरकार के पूर्णानुमोदन के लिए जोई परिवर्तनीय विधि या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 10- उक्त प्रतिबन्धों वा पालन वर्तमान संस्था के लिए अधिकारी और और पर्सनल विधि तम्य यह वायां बात है कि विद्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा उक्त वर्तमान वर्तमान में विधि प्रशासन की पूर्ण या विधिवाली वायां के तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं दिया जायेगा ।

मंत्रीय

Shanti
अमोळ गाँगुड़ी
उप तत्त्व

टूम्हे 3996111/15-7-1993 तद्दिनांक

प्रतिमिति निम्न विधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु
कुप्रियता :-

- 1- लिंगा निषेध, उत्तर प्रदेश, नैनीति ।
- 2- मण्डलीय उप लिंगा निषेध, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 3- लिंग विद्यालय निरीक्षण, गांधियाबाट ।
- 4- निरीक्षण, उत्तर भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, नैनीति ।
- 5- ग्रन्थालय, नौयेहा परिवास स्कूल, नौयेहा, गांधियाबाट ।

जाति ने

अमोळ गाँगुड़ी
उप तत्त्व

*Self-Attested
Roponi*
Principal
Noida Public School
A-78, Sector-23, Noida-20131

Shorter
Manager
Committee of Management
NOIDA PUBLIC SCHOOL
Sector..... NOIDA